

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3139/2022

बाबूलाल वर्मा पुत्र श्री रघुनाथ, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 19, रैगरों का मौहल्ला, न्यू कॉलोनी, गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर, हाल निवासी म.नं. 62, जगन्नाथपुरी कॉलोनी, पुराना बगराना रोड, माली कोठी, थाना कानोता, जयपुर (राज0)।

———प्रार्थी/अपीलार्थी

Versus

1. छोटूलाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल मीणा, निवासी सुसावतों की ढाणी, दांतली, पुलिस थाना शिवदासपुरा, जयपुर (राज0)।
(चालक व पंजीकृत वाहन स्वामी कार संख्या RJ-14-CZ-9559)
2. यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, शाखा प्रबन्धक—पालेछा मैशन, नगर निगम स्टेडियम के सामने, सांगानेर, जयपुर (राज0)।
(बीमा कंपनी कार संख्या RJ-14-CZ-9559)

———अपीलार्थीगण

For Appellant(s)	:	Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rizwan Ahmed, Adv. with Mr. Mohsin, Adv. (For Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

05/05/2026

1. अपीलार्थी बाबूलाल वर्मा द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-2, जयपुर महानगर, प्रथम (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-97/2018, बाबूलाल वर्मा बनाम छोटूलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थी बाबूलाल वर्मा द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, स्वयं के मोटर वाहन दुर्घटना में आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 13,60,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान

अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में अपीलार्थी को कुल 3,69,742/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की मासिक आय 5,382/- रुपये (26 दिनों के आधार पर) निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि अपीलार्थी वक्त घटना नमक बेचने का कार्य कर 20,000/- रुपये मासिक आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में समुचित राशि नहीं दिलवाई है तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 27.15 प्रतिशत की स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-17 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr. Reported in (2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be

compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in *Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd.* explained "just compensation" in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 30.08.2017 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 40 वर्ष की आयु का होना बताते हुए नमक खरीदकर दुकानों पर बेचने का कार्य करके 20,000/- रुपये मासिक आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु अपनी आय के संबंध में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को वक्त घटना अकुशल श्रमिक होना मानते हुए उसकी मासिक आय 207/- रुपये प्रतिदिन की दर से 26 दिनों के आधार पर 5,382/- रुपये निर्धारित की गई है। जबकि विद्वान अधिकरण को एक मजदूर श्रेणी के व्यक्ति की 30 दिनों की आय निर्धारित की जानी चाहिए थी। वक्त घटना अकुशल श्रमिक की दैनिक आय 207/- रुपये, तदनुसार मासिक आय 6,210/- रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की निर्धारित

मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी 25 प्रतिशत की गई है, जो उचित है। ऐसी स्थिति में **नेशनल ईश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य**: रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्धारित मासिक आय 6,210/- रुपये पर 25 प्रतिशत अर्थात् 1,553/- रुपये की भविष्य-वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। उक्त 25 प्रतिशत राशि को अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थी की कुल मासिक आय 7,763/- रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के दांये पैर में तथा पसलियों में अस्थिभंग होना तथा शरीर के विभिन्न जगहों पर गंभीर चोटें कारित होना जाहिर है। जिनके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 27.15 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षति के मद में 27 प्रतिशत की कमी होना माना है। अतः हम भी अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय में 27 प्रतिशत की कमी होना प्रमाणित पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की मासिक आय 7,763/- रुपये का 27 प्रतिशत 2,096/- रुपये होती है, जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121 तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 14 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा भी अपने निर्णय में 14 के गुणक का प्रयोग किया गया है, जो उचित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति $2,096 \times 12 \times 14 = 3,52,128$ /- रुपये होती है, जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को 14 दिन अस्पताल में भर्ती रहने पर 600/- रुपये प्रतिदिन की दर से 8,400/- रुपये, पौष्टिक आहार की मद

में 5,000/— रुपये तथा इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में 40,872/— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिनमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को कारित चोटों के आधार पर शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 5,000/— रुपये की राशि दिलवायी गयी है, जो कम प्रतीत होती है तथा जिसमें बढ़ोतरी किया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 30,000/— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में 30,000/— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को अस्पताल आवागमन की मद में कोई राशि नहीं दिलवायी गयी है। ऐसी स्थिति में हम, अस्पताल आवागमन की मद में 5,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप चिकित्सक द्वारा अपीलार्थी के तीन ऑपरेशन किये गये हैं। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त मद में कोई राशि अपीलार्थी को नहीं दिलवाई गई है। अतः यह न्यायालय शल्य चिकित्सा की मद में 10,000/— रुपये प्रति ऑपरेशन की दर से 30,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझती है।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को इलाजरत अवधि के दौरान 1 माह की आय की क्षति के मद में 5,382/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गई है। हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी करीब 3 माह तक कार्य करने में असमर्थ रहा होगा।

ऐसी स्थिति में हम 3 माह की आय की हानि के मद में $5,382 \times 3 = 16,146/-$ रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट बाबूलाल वर्मा निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य की आय की क्षति के मद में	3,52,128 /- रुपये
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	30,000 /- रुपये
3.	भविष्य में सुख-सुविधा की कमी के मद में	30,000 /- रुपये
4.	इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में	40,872 /- रुपये
5.	14 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	8,400 /- रुपये
6.	अस्पताल आवागमन की मद में	5,000 /- रुपये
7.	पौष्टिक आहार की मद में	5,000 /- रुपये
8.	शल्य चिकित्सा की मद में	30,000 /- रुपये
9.	3 माह की आय की क्षति के मद में	16,146 /- रुपये
10.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	5,17,546 /- रुपये
11.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	3,69,742 /- रुपये
12.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	1,47,804 /- रुपये

15. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को 3,69,742/- रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 5,17,546/- रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

16. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

17. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

18. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J